राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.28( )पंरावि/प्रशा–2/ग्रासे/आमेर/2013/ 3195 जयपुर,दिनांकः– 3/8/17

—: आदेश :—

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.28(160)पंरावि/प्रशा–2/ग्रासे/विवि/समा/09/3265 दिनांक 02.10.2010 के द्वारा विभिन्न विभाग/निगम/बोर्ड इत्यादि से सैकण्डमेन्ट/प्रतिनियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति के आधार पर ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित कर्मचारियों का पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम सेवक के पद पर समायोजन किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे । इन कर्मचारियों की पेंशन देयता के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :—

1— कार्यप्रभारित कर्मचारी जिनका पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर निर्धारित चयन प्रकिया से नियमित पद पर दिनांक 1–1–2004 से पूर्व समायोजन/ पदस्थापन हो गया था तथा पूर्व में सीपीएफ योजना में शासित थे, वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 14 के राजकीय निर्णय 1 (1 से 5) एवं 3 एवं 4 के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे ।

2— कार्यप्रभारित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जिनका पंचायती राज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर निर्धारित चयन प्रकिया से नियमित पद पर दिनांक 1–1–2004 से पूर्व समायोजन/पदस्थापन हो गया था तथा पूर्व में सीपीएफ योजना में शासित थे, वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 14 के राजकीय निर्णय 2 के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे ।

यह आदेश वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 121700088 दिनांक 26 07 2017 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(राजेन्द्र शेखर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1—विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2—विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3—निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4—निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5—संयुक्त शासन सचिव—II, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6—निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7—मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद— समस्त ।
8—वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
9—विकास अधिकारी, पंचायत समिति— समस्त ।
10—ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
11—आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव